



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229475
CG-DL-E-07092021-229475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]
No. 505]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आयकर

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 619(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 616(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ सं. 1 की पंक्ति 9 में “छब्बीसवां” के स्थान पर “सत्ताईसवां” पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 102/2021/फा.सं. 370142/35/2021-टीपीएल (भाग 1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान